S. No.	Point No.	Name of Item	Units	Target 1993-94	Achievement 1993-94	% age Achievement
8	08D	IMMUNISATION OF CHILDREN (DPT, POLIO & BCG)	NOS.	1198090	1197899	100
9	09A	FP STERILISATION	NOS.	270000	287568	107
10	09B	EQ. OF STERILISATION IUD, CC & OP	NOS.	218722	219330	100
11	09C	ICDS BLOCKS OPERATIONAL (CUM.)	NOS.	124	124	100
12	09D	ANGANWADIS (CUM.)	NOS.	19969	18750	94
13	11A	SC FAMILIES ASSISTED	NOS.	61000	61316	101
14	11B	ST FAMILIES ASSISTED	NOS.	82000	82642	101
15	14A	HOUSE SITES ALLOTTED (FAMILIES)	NOS.	30000	35092	117
16	14B	CONSTRUCTION ASSISTANCE (FAMILIES)	NOS.	20000	29829	149
17	14C	INDIRA AWAAS YOJANA (HOUSES)	NOS.	6598	6692	101
18	14D	EWS HOUSES PROVIDED	NOS.	2400	2445	102
19	14E	LIG HOUSES	NOS.	1000	2368	237
20	15	SLUM IMPROVEMENT (POPULATION)	NOS.	80000	92915	116
21	16A	TREE PLANTATION ON PRIVATE LANDS	NOS.	150000000	163176000	109
22	16B	AREA COVERED—PUBLIC AND FOREST LANDS	HECT.	68000	85277	125
23	18	FAIR PRICE SHOPS	NOS.	70	103	147
24	19B	PUMPSETS ENERGISED	NOS.	17000	18766	110
25	19C	IMPROVED CHULLAHS	NOS.	50000	68442	137
26	19D	BIOGAS PLANTS (STATES)	NOS.	35000	38038	109

Centrally Sponsored Schemes in Uttar Pradesh

2113. SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) what are the details regarding the existing centrally sponsored schemes launched in Uttar Pradesh;

(b) the phase-wise progress of each scheme; and

(c) by when each scheme is likely to be completed?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GAMANG): (a) to (c) Centrally Sponsored Schemes are formulated by the Central Ministries/ Departments in consultation with the State Governments/Union Territories and are implemented by the State Governments/Union Territories, These schemes are monitored by the administrative Ministries concerned. The Planning Commission does not have any direct role in their implementation. It, however, generally reviews the implementation of Plan schemes during the Annual Plan discussions with the States/Union Territories.

राज्यों को केन्द्रीय सहायता हेतु पुनरीक्षित गाडगिल फार्मूला

2114. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुनरीक्षित गाडगिल फार्मूला के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों को अपनी विशिष्ट समस्याओं का निवारण करने के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त 7.5 प्रतिशत और सहायता दी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो ये समस्याएं क्या है तथा राज्यों में इन समस्याओं को विनिर्दिष्ट करने के लिए मानदंड क्या है; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है तथा क्या राज्य में अवसंरचनात्मक और मूलभूत सुविधाएं एवं सेवा उपलब्ध कराने के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है और क्या इस तथ्य को देखते हुए मध्य प्रदेश को सामान्य केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त 7.5 प्रतिशत और सहायता दिये जाने की संभावना है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग): (क) से (ग) राज्यों को अन्य बातों के साथ-साथ सामान्य केन्द्रीय सहायता के आवंटन के लिए दिसंबर, 1991 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित वर्तमान आशोधित गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले में "विशेष समस्याओं" के मानदण्ड में 7.5 प्रतिशत का अधिभार है। विशेष समस्याओं को इस फार्मूले के अंतर्गत विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। विगत में सूखा प्रवण क्षेत्रों, मरू क्षेत्रों, बाढ़ग्रस्त इलाकों घनी आबादी वाले क्षेत्रों, शहरी गंदी बस्तियों, पर्यावरणीय समस्याओं, न्यूनतम यथोचित योजना आकार को प्राप्त करने में विशेष वित्तीय कठिनाइयों जैसी विशेष समस्याओं पर इस मानदण्ड के अन्तर्गत राज्यों (मध्य प्रदेश सहित) को केन्द्रीय सहायता के आवंटन में विचार किया जाता था। ये आवंटन उपाध्यक्ष योजना आयोग तथा राज्यों के मुख्यमंत्रियों/राज्यपालों के बीच हुए विचार-विमर्श के आधार पर किए गए है। 7.5 प्रतिशत अधिभार वाली विशेष समस्याओं के मानदण्ड के अन्तर्गत आवंटित सहायता सामान्य केन्द्रीय सहायता में से है तथा इसमें कोई अतिरिक्त सहायता शामिल नहीं है।

पहाड़ी क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता

2115. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के कौन-कौन से आधार हैं;

(ख) वर्तमान में किन-किन राज्यों को पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा प्रत्येक राज्य को दी जा रही धनराशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दशक के दौरान पहले से कार्यान्वित किये गये कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए योजना आयोग द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल की तकनीकी समिति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों की परिभाषा के संबंध में दिये गये सुझावों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों की परिभाषा के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कौन-कौन से क्षेत्र आते हैं, क्या सरकार ने इन क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु कोई निर्णय लिया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग): (क) से (ग) पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत नामित पहाड़ी क्षेत्रों को और पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के तहत नामित तालुकों को विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है। प्रत्येक राज्य को 1994-95 में आवंटित की गई धनराशि का एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिए) पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित 7 वीं योजना के कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग ने देश में नए पहाड़ी क्षेत्रों का पता लगाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए मई, 1986 में एक विशेषज्ञ ग्रुप का गठन किया। बहरहाल, निधियों की कमी के कारण, 8 वीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश सहित किसी राज्य में नए पहाड़ी क्षेत्रों का पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम में विस्तार न करने का निर्णय लिया गया है।

विवरण

एच ए डी पी / डब्लू जी डी पी के तहत शामिल किए गए नामित पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का आवंटन—1994-95

		करोड़ रुपये
क.	एच ए डी पी के तहत राज्य में नामित पहाड़ी क्षेत्र	
	1. असम	42.05
	2. तमिलनाडु	17.81
	3. उत्तर प्रदेश	197.06
	4. पश्चिम बंगाल	20.61
ख.	डब्लू जी डी पी के तहत राज्य में नामित पहाड़ी क्षेत्र	
	1. महाराष्ट्र	13.81
	2. कर्नाटक	10.22
	3. केरल	8.61
	4. तमिलनाडु	7.20
	5. गोवा	2.12